[Shri K. R. Ganesh]

venue account. On capital account receipts are estimated at Rs. 11.82 crores and expenditure at Rs. 14.35 crores. Overall deficit will thus, be Rs. 3.27 crores. This is mainly the result of the State locking up funds on maintaining a reserve stock of foodgrains to meet emergencies in the context of uncertain communications to this land-locked State. But efforts are being made to minimise the stock holding and to have it maintained by Food Corporation of India within Manipur. Thus, the coming year may really end with a surplus or a marginal deficit

Plan Outlay

Against an approved outlay of Rs. 7.67 crores in the current year, the outlay on the State's Plan in 1973-74 is envisaged at Rs. 8.9 crores. It will be met almost entirely through Central assistance. Emphasis in the next year's Plan will be on communications and social services in the context of the need for creating minimum infrastructure for development and provision of educational and health facilities to the people, a bulk of whom are from the weaker sections of the society.

In addition, 1973-74 Budget provides or an outlay of Rs. 4.96 crores for Centrally Sponsored Plan Schemes. This includes Rs. 1.4 crores on Loktak Lift Irrigation Scheme, Rs. 70 lakhs on the Regional Medical College and Rs. 50 lakhs on 132 KV power transmission line forming part of the North Eastern Grid.

16.38 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74—Contd.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

श्री मोहन स्वरुप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं—काफ़ी इन्तज़ार केब ाद मुझे बोलने का अवसर मिला । मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । गृह मंत्रालय के मुख्यतया तीन काम हैं—देश की आन्तरिक स्थिति को ठीक रखना, दूसरे राज्यों और केन्द्र के बीच में सम्बन्ध स्थापित रखना तथा राज्यों की सहायता करना ताकि वे अपने यहां शान्ति स्थापित रखने में कामयाब हो सकें । इन कामों के लिए पुलिस का जो काम है वह बहुत महत्वपूर्ण है । लेकिन यहां पर विभिन्न भाषणों में पुलिस की बहुत भर्तस्ना की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है । लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है—देश की आन्तरिक स्थिति को ठीक रखने के लिए हम पुलिस पर ही आधारित हैं, हर हालत में पुलिस के पास जाना पड़ता है । एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक बार मुझ से कहा था—क्या आप चाहते हैं कि हम भी इस देश में झण्डा उठायें, स्लोगन लगायें । वह भी इस बात से बड़े डिस्गस्टेड हैं कि यदाकदा उनके खिलाफ़ जो क्रिटिसिज्म होता है, वह बिलकुल गलत होता है । मैं चाहता हूं कि जहां एक तरफ़ उनके करप्शन, उनकी खराबियों की भर्तस्ना हो, वहां यह भी होना चाहिए कि पुलिस का काम कितना कठिन है, कितनी खराब परिस्थितियों में वे काम करते हैं, 24 घंटे के मुलाजिम हैं जब कि दूसरे दफ्तरों में लोग 8-8 घंटे काम करते हैं.....

श्री एस० ए० शमीम : आप को जनता ने यहां भेजा है, पुलिस ने नहीं भेजा है, जनता की बात कीजिये ।

श्री मोहन स्वरूप : पुलिस में भी जनता के लोग हैं । (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि व लोग खराब परिस्थितियों में काम करते हैं, खतरनाक रास्तों पर उनको जाना पड़ता है और रात के समय किसी वक्त वर्दी पहनकर जाने के लिए व तत्पर रहते हैं । इसलिए हमें उनकी बातों पर भी विचार करना चाहिए । जहां एक तरफ क्रिटिसिज़्

हो. करप्शन और भ्रष्टाचार की बात हो— मैं भी पुलिस को क्रिटिसाइज करने का आदी हूं, उनकी खराबियों का अक्सर जिक्र करता हूं लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा क्या आप चाहते हैं हम भी यूनियन बनायें तो हम उनकी बात पर भी विचार करना होगा। पुलिस को और अधिक कारगर बनाने के लिए मेरा सुझाव है कि हर थाने में टलीफोन की व्यवस्था हो, उनको जीपें दी जायें, उनको उपकरण दिये जायें और उनके प्रशिक्षण का अच्छा प्रबन्ध हो। मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेन्ट ने 8 करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस को इक्वीप करने के लिए रखी है।

इसी के साथ साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए। पुलिस को और ज्यादा संगठित और प्रशिक्षित बनाना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या 1960 में 431.7 मिलियन थी जोकि 1970 में बढ़कर 550 मिलियन हो गई। 1960 में काग्निजबिल आफन्सेज की संख्या 6,06,367 थी और 1970 में उनकी संख्या बढ़कर 9,55,422 हो गई। इस प्रकार से जहां आबादी में वृद्धि 27.4 प्रतिशत हुई वहां क्राइम्स में वृद्धि 57.6 प्रतिशत की हुई। इस तरह क्राइम्स तो रोज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके अनुपात में जो पुलिस में वृद्धि होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। पुलिस की संख्या पूरे देश में 1970 में 6,43,747 थी। यह किताब है मेरे पास "क्राइम्स इन इंडिया"। . (व्यवधान) . इस तरह से सौ किलोमीटर के क्षेत्र में 20.3 पुलिसमेन आते थे और दस हजार की आबादी पर 11.8 पुलिस आते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दस हजार की आबादी पर 11.8 पुलिसमैन आये तो किस तरह से व्यवस्था ठीक रखी जा सकती है। इसी प्रकार से जो केन्द्र शासित क्षेत्र हैं पूरे देश में वहां पर पुलिस की संख्या थी 22,709। वहां पर पर-हन्ड्रेड किलोमीटर में 155.4 पुलिसमैन आते हैं और दस हजार की आबादी पर 39.6 आते हैं। आप देखेंगे कि केन्द्र शासित क्षेत्रों में जहां पर-हन्ड्रेड किलोमीटर पुलिस की संख्या 155.6 है वहां अन्य क्षेत्रों में केवल 20.3 ही है। . (व्यवधान) . तो इसलिए पुलिस की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ क्राइम्स को रोका जा सके।

एक बात मैं आपके सामने ब्रेन-ड्रेन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश के बुद्धिजीवी काफी तादाद में विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कन्डीशंस अच्छी है। इस बात की तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेज कमिशन का यहां पर गठन हुआ था। उसकी काफी बड़ी मोटी रिपोर्ट पड़ी हुई है लेकिन उस पर आज तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उस रिपोर्ट पर यहां बहस होनी चाहिए और उसकी जो सिफारिशें हैं उनको कार्यान्वित करना चाहिए। इसके साथ साथ जो बैकवर्ड पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय साढ़े 5 बजे बोलेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, we pose about our country that we are socialist, we are democratic and it is a Welfare

[Shri Jyotirmoy Bosu]

State. But if anybody judges by the size of the police that it maintains, you would realise that it is not, but a fascist and dictatorial State. How big is the police you could easily make out from the size, that the budget had been of a total of Rs. 135.81 crores and, Sir, this is only for the Centre. State police may be 50 per cent more bigger in size, if you compare them in value. Sir, the Intelligence Branch, I am not talking about the Research and Analyst Wing who have big budget—30 crores siphoned out money from discretionary funds from the different ministries, I am talking about this shorn publicised Intelligence Branch, the Budget is on page 31—Rs. 8,94,88,000. That is for the Central Intelligence, although by the Constitution that is neither required to have police nor required to have Police Intelligence.

Kashmir maintains force of 13,000 intelligence people directly under the Research and Intelligence Wing headed by Mr. Kaul. In 1966-67 this Budget was only Rs. 6 crores and the moment the Congress Opposite forces came into existence, they have jumped up today by 50 per cent.

The worst thing is political spying. Even respectable political opponents, Members of Parliament, dissidents in their own party and even Ministers' mails, telephones and telegraphs have not been spared. I have got a photostate copy of a tampering of mail by the Central Intelligence. I am giving a photostat. This is a letter addressed to Shri A. K. Gopalan, my leader. On the back of it there is a stamp of the Intelligence Department and certain places in India.

I am giving another telegram. On the telegram it is written "released by the police". I do not wish to lay it on the table of the House because the handwriting may cause trouble to some employees. But, Sir, if you want to have a look at it, I can certainly give it you to do so. The letter addressed to Mr. Gopalan was seized by the Central Intelligence agents. We have been able to get a photostat. It is a letter on the front page and photostat on the back. Here is a telegram sent by Shri A. K. Gopalan to another party. This was seized by the police. It is written on the body 'released by the police'. That is what they are doing. Shall I lay it on the table?

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I do not want it to go to the Government's hands because I do not want half a dozen employees to lose their job because of hand-writing.

MR. CHAIRMAN: No. Do not make a noise like this.

SHRI JOYTIRMOY BOSU: I want to give it for examination if you like.

MR. CHAIRMAN: If you want to place it on the table it will be sent to the hon. Speaker and his orders will be obtained.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have told already that in the State of Jammu and Kashmir, they maintain an Intelligence Branch as strong as 13,000 people headed by a man called Sehgal. How effective are they in maintaining law and order has been given in the valuable report of the Committee of Freedom of Association:

> "The Committee takes the view that the situation involving the large number of unions affiliated to the complainant organisations was of a sufficiently serious nature, involving not only physical violence and destruction of property, but also the severe restriction of the free exercise of trade union rights, as to warrant stringent measures being taken by the authorities to restore a normal situation."

It is against the West Bengal Government and against the Centre-State, passed in Geneva by the International

Labour Organisation. If you like I can show it to you also

I now come to the Prime Minister who had once said we are willing to publish a list of murdered political workers belonging to my party. We have published one. Where is yours? The moment you publish one you will see that they are all anti-socials, socially undesirables. They talk of Delhi, the pride city of India. What is the crime position? You are spending Rs. 8,77,92,000 for maintaining law and order in Delhi. What they do with the money? Crime is going up. It is shameful and heinous; they have convicted some constables because they protested against service conditions and went on strike in 1967; even today some of them remain victimised. Do not go for an evening walk to the India Gate; You will be molested. Even by chance do not take Mrs. Tiwary.... (*Interruptions*).

I am asking at whose cost are these people maintained? Every year crime has increased. In 1964-65 it was Rs. 25.27 crores and in 1969-70 it went up to Rs. 86.16 crores and this year the budget provision is Rs. 135 crores. Mrs. Gandhi had boasted. I do not say **because that is not a good thing.

MR. CHAIRMAN: It is very objectionable; it will not go on record (*Interruptions*) We understand what you have said.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I say I cannot call her**

I am careful when you are in the Chair.

MR. CHAIRMAN: This will not go on record; you are repeating it .... (*Interruptions*) Whatever Members have said without my permission will not go on record.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Here it says that the budget shows a decline in the provisions for social services including education, public health, family planning and on the other hand it reveals an increase in the expenditure on police, miscellaneous departments on account of the strengthening of the Intelligence Bureau and the stepping up of establishment expenditure.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall take two minutes more.

MR. CHAIRMAN: No, please; You had ten minutes and you have exhausted more than that.. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall refer to one more unit and I shall then sit down. There is a research and analysis wing. It is destroying democracy and it consist of a coterie of people headed by the Prime Minister. There is severe corruption and irregularity in that research and analysis wing. A senior field officer, DSP, formerly ASI Punjab Police has been involved; serious complaints are there against** for misusing Government property. It consists of such persons.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you mention names you have to produce documentary proof. If you name a person, I would not allow that. I would not allow any officer's name to go on record. If you have got any evidence, you write to the Speaker that you want to mention such and such a name during the debate on Home Ministry's Demands for Grants. Don't mention the name of the officer. Now, you must conclude.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall put 'Joint Secretary'. The Research and Analysis Wing started with two officers. Now, they have got one officer for Mayur Bhawan, one in Block No. 1, R. K. Puram.

**Expunged as ordered by the Chair.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: This kind of strictness is never imposed when it comes from the other side.

MR. CHAIRMAN: If anybody mentions the name, and the person concerned is not here to defend himself, I cannot allow that. I shall observe this whether anybody observes this or not.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: In one case you allowed it and in this case you do not.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu you must conclude now. I shall now call Shrimati Mukul Banerjee.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Why did you allow them to attack Shankaracharya?

MR. CHAIRMAN: I shall look into the records. I shall always be consistent in my rulings.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Research and Analysis Wing had two officers who are doing political blackmailing, political murder and political defections. Formerly there were two Officers. Now they are 12 in Safdarjung Enclave, Mehrauli and everywhere. It is spreading its tentacles everywhere.

MR. CHAIRMAN. All the hon. Members will agree with me, including those on this side, that we here are representatives of the people. We are guided by certain rules. If we go on abusing our privileges, then I cannot allow this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I take exception to this.

MR. CHAIRMAN: Is there any publication from which you are quoting? If you go on telling such things without substantiating them then it is not fair.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: You will please hear me. I am perfectly in order when I say that this Government is inefficient and corrupt. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, your time is up. Now you must conclude. Kindly resume your seat.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am only saying that with the proliferation of officers in the Intelligence Wing on the Research and Analysis Wing you had only two officers and now there are 12 officers—you go on increasing the expenditure.

17.00 hrs.

The research and analysis wing has spread its tentacles in Bangladesh also. I have got documents but I do not want to reveal them in greater public interest. (*Interruptions*). This is all done to keep Mrs. Gandhi in power by hook or crook. Why should the Chair be giving shelter to this Government. I do not understand (Interruptions).

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) सभापति महोदय, श्री ज्योतिर्मय बसु जितनी भी स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे उनके ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं वह गलत बातें कहने में विश्वास करते है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि 22 दिसम्बर, 1972 को उन्होंने मारुति प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लोक सभा में अपना भाषण दिया था। उस भाषण के दौरान उन्होंने बहुत सी गलत बातें कही थीं। लगभग सभी गलत बात उन्होंने बताई थीं और गलत स्टेटिस्टिक्स दिये थे। उन्होंने कहा था कि एक डायरेक्टर के घर में रेड हुआ था और उसके घर से सतरह लाख रुपये मिला है। लेकिन बाद में पता चला कि किसी के घर पर रेड नहीं हुआ और कोई सतरह लाख रुपया नहीं मिला। तोड़ मरोड़ कर गलत बातें वे बतलाते हैं और जनता को धोखा देते हैं और गलत रास्ते पर दुनिया को डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बातें और इस तरह के गलत आंकड़े हिन्दुस्तान की जनता को कांग्रे-

सियों को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। वह मारुति लिमिटेड के बारे में क्या समझें। उन्होंने बंगाल के बच्चों की शिक्षा को खराब किया है लेकिन अपने बच्चे को वह विलायत में पढ़ा रहे हैं। उनको हिन्दुस्तान के बच्चों की क्या फिक्र है। वह क्या जानें कि मारुति लिमिटेड जो इंडिजिनस प्रोडक्शन करेगी उससे हिन्दुस्तान को कितना लाभ होगा, यहां के लोगों का कितना लाभ होगा.

(व्यवधान)।

उनका कायदा है कि मिसगाइड किया जाए और पुलिस को भी डिमारेलाइज किया जाये। मेरे ही क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक टोली को इकट्ठा किया और कहा कि इंदिरा गांधी के घर पर जा कर प्रदर्शन करेंगे और बतायेंगे कि महंगाई की तकलीफ है, दूसरी तकलीफें हैं और तुम अपने साथ लाठी ले लो, छुरे, छुरा ले लो। जब पुलिस हमको मारेगी तब हम पुलिस को मारेंगे। लेकिन हम लोग सब समझते हैं। मैं एक अच्छी वर्कर हूं। मझे इसकी खबर मिली। मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि दो विरोधी पार्टी वालों ने हमको उकसाया है और हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे। एक तरफ तो पुलिस वालों को भड़काने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ ये पुलिस को डिमारेलाइज भी करते हैं। लेकिन आपको देखना चाहिये कि पुलिस वालों की हालत आज क्या है? पुलिस कांस्टेबल को तनख्वाह कितनी मिलती है। एक पुलिस कांस्टेबल को बस जो जैसी नहीं बल्कि 75 रुपया तनख्वाह मिलती है और सब मिलाकर 100 से 150 के करीब ये बनते हैं। न उनको घर मिलता है और न ही ओवरटाइम मिलता है। चौबीसों घंटे उनको ड्यूटी देनी पड़ती है। उनको कोई ओवरटाइम नहीं मिलता है। यूनिफार्म भी उनको अपने पैसे से धुलवानी पड़ती है। अपने परिवार वालों का पालन पोषण भी करना पड़ता है। मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आप उनको यूनियन बनाने नहीं दे रहे हैं यह तो ठीक बात है लेकिन उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये, जो पुलिस लाइंज में रहते हैं उनके वास्ते धोबी का इंतजाम होना चाहिये, उनको दूसरी सुविधायें मिलनी चाहियें।

जो एनविरनमेंट पाल्यूशन हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो सी पावर स्टेशन से पोल्यूशन हो रहा है, जो पायजनस धुआं निकलता है, इस को भी आप को रुकवाना चाहिये। गंदे नाले की तरह से यमुना पोल्यूटिड हो गई है। इसका भी होम मिनिस्ट्री को खयाल करना चाहिये।

पिछले साल बताया गया था कि पुलिस ट्रेनिंग का सर्वे किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि उसका क्या हुआ है? खोसला कमिशन की जो रिपोर्ट है उसको आये हुये तीन साल हो गये हैं। थोड़ा थोड़ा आप उसको इम्प्लेमेंट कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि उसको आप जल्दी से इम्प्लेमेंट करें ताकि पुलिस की हालत थोड़ी ठीक हो।

विरोधी दल वाले कहते हैं कि पुलिस पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दिल्ली की आबादी दस गुना बढ़ गई है। उसके मुकाबले में दिल्ली पुलिस नहीं बढ़ी है, दस गुना नहीं बढ़ी है। इसलिये खर्चा तो बढ़ेगा ही और बढ़ना भी चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ आपको उनकी हालत में सुधार भी लाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री बी० पी० मौर्य : (हापुड़) : सभापति महोदय, पंडित उमा शंकर दिक्षित जी को गृह मंत्रालय के मंत्री पद पर आसीन देखकर मेरे जैसे लोगों को कुछ आशा बंधती है। वह एक राजनीतिक तपस्वी रहे हैं, दूरदर्शी हैं, क्षमता और योग्यता रखते हैं।

बहुत कठिन समस्याओं में से होकर देश गुजर रहा है। मैं आशा करता हूं कि वह इन समस्याओं का कुछ हल निकालने में सफल होंगे।

[श्री बी० पी० मौर्य]

जन संघ के आदरणीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कुछ भी रोष और गुस्से में तथा भावनाओं में बह कर कहा है उसके उत्तर में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि उर्दू को इरादे के साथ हत्या नहीं होनी चाहिये। उसको उसका अधिकार मिलना चाहिये। मुसलमान देश की मुख्य धारा से अलग होते गये हैं पच्चीस बरस में। उनको मुख्य धारा में लाया जाना चाहिये, नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिये। इसका प्रयत्न सरकार को हर समय करना चाहिये।

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी हमारी प्रगतिशील नीतियों के दायरे में आई है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह युनिवर्सिटी प्रथम नहीं अन्तिम होनी चाहिये। मुझे जो विचार उन्होंने यहां रखे हैं उसके उत्तर में यही निवेदन करना है।

शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की समस्यायें तो बहुत हैं लेकिन उन सब में ज्यादा नहीं कहूंगा क्यों कि समय कम है इस वास्ते मैं नौकरी में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है केवल इसी एक समस्या को लूंगा। 1970–71 की जनगणना के आधार पर शैड्यूल्ड कास्ट पन्द्रह सैकड़ा और ट्राइब्ज साढ़े सात सैकड़ा के वास्ते सर्विसेज में स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे। 1 जनवरी, 1968 को अगर आप देखें तो प्रथम श्रेणी में शैड्यूल्ड कास्ट केवल 2.08 सैकड़ा थे और दूसरी में 3.1 सैकड़ा। इसी प्रकार से शैड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्ज क्रमशः .57 कसैंड़ा और .41 सैकड़ा थे। इतना ही नहीं, विशेष तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूं कि इनके वास्ते वहां जो स्थान सुरक्षित थे उनको न भर कर मिनिस्टर ने इजाजत दे दी कि उनकी डी-रिजर्व कर दिया जाये और उन पर शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के जो योग्य व्यक्ति मिल सकते थे उनको न ले कर दूसरे लोगों को ले लिया गया। यह चीज भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट में है। तमाम आंकड़े देने का समय मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1969 में पहली श्रेणी की 43 वैकेंसीज़ को डी-रिजर्व किया गया और उनमें से 36 को भरने की इजाजत भी मिल गई। शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। संक्षेप में कहा जाये तो यह कहा जा सकता है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का रिप्रेजेन्टेशन प्रथम और दूसरी श्रेणी में न के बराबर है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि जो हालत गोरों की गुलामी के जमाने में थी वही आज है। ऐसा कहना बहुत ही अत्याचार होगा, उन शक्तियों के प्रति जिन्होंने बहुत कुछ शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिये किया है। लेकिन जितनी राष्ट्र ने उन्नति की है, अन्य क्षेत्रों में जितना विकास हुआ है, उतना इनका नहीं हुआ है। संविधान की एक कठिनाई रास्ते में आ गई। धारा 16 की सब क्लाज 4 फन्डेमेंटल राइट्स में है।

"Nothing in this Article shall prevent the State from making any provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 335 यह व्यवस्था करता है

"The claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ "कानसिस्टेंट्ली विद दि मेनटेनेंस आफ एफिसेंसी आफ एडमिनिस्ट्रे-

शन" के बारे में अपने विचार रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है—मैं ए० आई० आर० 1968, पन्ना 512, से क्वोट कर रहा हूं

"It is also apparent that Article 16, Clause 4 has to be intrepreted in the context and background of Article 335 of the Constitution. In other words, in making a provision for reservation of appointments or posts, Government has to take into consideration not only the claims of the members of the backward classes but also the maintenance of efficiency of administration, which is a matter of paramount importance."

शिडयूल्ड कास्ट्स का अधिकार श्रेष्ठ —पैरामाउन्ट—नही है, बल्कि एफिसेंसी पैरामाउन्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है, मेरा निवेदन केवल यह है कि यदि सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ खिलवाड करना चाहती है, जैसा कि पिछले पच्चीस बरस मे हो रहा है, तब तो मुझे कुछ नही कहना है। संविधान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो व्यवस्थाये रखी गयी हैं, उनका कारण यह था कि जिस तरह हमारी धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक कुरीतियों ने पिछले पच्चीस वर्षों में मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया है, उसी तरह सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और शोषण ने शोषित समाज को देश की मुख्य धारा से अलग कर दिया था।

संविधान के रचियताओं ने शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये दो संरक्षण रखे : राजनैतिक संरक्षण और सरकारी नौकरियों में संरक्षण। जहां तक राजनैतिक संरक्षण का सवाल है, वह पहले केवल दस बरस के लिये था। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के एम० एल० ए० और एम० पी० अपनी आबादी के लिहाज से चुनें जाये, यह व्यवस्था केवल दस साल के लिये थी। लेकिन आर्टिकल 335 में दिये गये सरकारी नौकरियों में संरक्षण के लिये कोई समय निश्चित नही किया गया था मैं इसका यह अर्थ निकालता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग अपनी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में आयें, संविधान के रचियताओं ने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया था और इसलिये उन्होंने इसके लिये कोई अवधि नही रखी थी। इसके विपरीत राजनैतिक संरक्षण पहले दस बरस के लिये रखा गया और फिर उस अवधि को बढ़ा कर बीस और तीस वर्ष कर दिया गया मुझे मालूम नही है कि इसको कब तक बढ़ाया जायेगा—इसको उस वक्त तक बढ़ाया जा सकता है, जब कि देश की एकता खतरे में पड़ जाय, क्योंकि मेरे विचार से राजनैतिक संरक्षण ने हमारे देश में वेस्टिड इन्टरेस्ट पैदा कर दिये है।

अगर सरकार चाहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, जिनका इस देश में इरादे के साथ शोषण किया गया है, इस जनतंत्र में बराबर के हकदार हों और एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकें, तो सरकार को आर्टिकल 335 का संशोधन करना होगा। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी के रास्ते में जो हमारे देश और इस सदन की नेता हैं, प्रिवी पर्स आये, तो उन्होंने प्रिवी पर्स वालों को ही दफन कर दिया। जब उनके रास्ते में बैंक आये, और उनके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जा कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज इस देश के शोषित और मजलमों के रास्ते में, इस देश के अति-सर्वहारा समाज के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इसलिये आर्टिकल 335 में से "कानसिस्टेंटली विद दि मेंनटेनेंस आफ एफिशिऐंसी आफ एडमिनिस्ट्रेशन" को निकाल दिया जाना चाहिए।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून बनाने वाले योग्य एम० एल० ए० और एम० पी० शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज से मिल जाते है, जब देश की रक्षा करने वाले

[श्री बी० पी० मौर्य]

योग्य रक्षा मंत्री मिल जाते हैं, तो फिर क्या बने हुये कानूनों का पालन करने के लिये कलेक्टर और एस० पी० नहीं मिलते हैं ? इसको पाखंड माना जायेगा ।

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आज वह समय आ गया है कि सरकार आर्टिकल 335 का संशोधन करे । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार राजनैतिक संरक्षण को भी समाप्त करे, भीख के समान सरकारी नौकरियों में जो संरक्षण दे रखा है उसको, भी समाप्त करे । अगर हमारे पास शक्ति बुद्धि, क्षमता, योग्यता और बल होगा, तो हम अपने अधिकारों को ले लेंगे ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मुझे इस बात का एहसास है कि इस मंत्रालय का काम बड़ा कठिन है । जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जिस का गृह मंत्रालय से सम्बन्ध न हो, या जिसको यह मंत्रालय स्पर्श न करता हो । चाहे राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र हो चाहे विभिन्न सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध हों और चाहे पिछड़े वर्गों की समस्यायें हों, जीवन के प्रायः सभी कक्षों और संदर्भों में इस मंत्रालय का सम्बन्ध है ।

यह भार बड़े कुशल कंधों पर पड़ा है । मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि श्री दीक्षित के नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश में शान्ति और सुख-समृद्धि लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा । वह देश के तपे हुए नेता हैं और बड़े सक्षम हैं । उन का मंत्रालय भी बड़ा सुक्षम है । उनके साथियों, श्री कृष्ण चन्द्र पन्त और श्री मिर्धा, को भी बड़ा अनुभव प्राप्त हो चुका है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में उस की चतुर्मुखी सेवाओं का वर्णन किया गया है ।

इस मंत्रालय के सम्बन्ध में मैंने श्री शमीम, श्री सुलेमान सेट, श्री कोया और श्री वाजपेयी के भाषणों को ध्यान से सुना है । उन सब ने इस सदन में इस बात को दोहराया और बड़े संकल्प के साथ कहा कि हमारा दिल साफ है, हमारा दिमाग साफ है और हम चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने रिलिजन और धर्म पर विश्वास करते हुए बड़े प्रेम से रहें, कहीं पर कोई दंगा न हो और किसी पर कोई हाथ न उठाये यह बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है शायद इस सदन में वे दिल से बोलते हैं । लेकिन जब वे बाहर जाते हैं, तो दिल की बात यहां ही छोड़ देते हैं । बाहर वे जैसी आडियंस देखते हैं, उसके मुताबिक बोलते हैं और दिल से नहीं, बल्कि दिमाग से बोलते हैं ।

इन्सानी दिल में एक दर्द होता है । मुमकिन है कि माननीय सदस्य इस सदन में उस दर्द से प्रभावित होते हों । दिमाग बड़ा फ़ितरती होता है । अगर श्री सुलेमान से यहां होते, तो मैं उन को बताता कि आज तक आदमी के मुताल्लिक फ़ैसला नहीं हो पाया है कि आदमी है या । आदमी इक तज़ादे-वाहनम है, कभी जन्नत कभी जहनुम है यह शर आदमी की दिमाग़ी फ़ितरत पर लागू होता है । आदमी फ़ितरतन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है-- वह जन्नत भी हो सकता है और जहन्नु भी हो सकता है । लेकिन इस का ताल्लुक दिमाग से है ।

जब दिल का तसव्वुर होता है, तो उसी शायर ने कहा है, "गम है इक

निशाने-बुराइयों, जितना बरतो, उसी कद्र कम है।" करुणा, दया, शान्ति, माधिल्य, प्रेम और बन्धुत्व का ताल्लुक दिल से है। हम इसी परिवेश में सारे समाज को देखना चाहते हैं। श्री सुलेमान सेठ और श्री शमीम कहां चले गये हैं जिन्होंने पुरजोर उर्दू में तकरीरें फरमाई थीं? अगर वे यहां होते, तो मैं उन को यह शेर सुनाता। "इनकार आप का बजा लेकिन, क्या खुशी है कि आप पुरनम है"। शायर ईश्वर का शुक्रिया करके कहता है कि तेरी बड़ी कृपा है कि तुमने मुझ अस्तित्व दिया, लेकिन यह क्या खुशी है कि मेरी आंख गीली है। इसका अर्थ यह है कि जब हम इन्सान और इन्सान के बीच में गरीबी और अमीरी, छोटे और बड़े में वितृष्णा की स्थिति को देखते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस सब पर काबू पाने के लिए आखिर में शायर कहता है: "बुझ रहे हैं चिराग दायरो-हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है।" जब मन्दिर और मस्जिद के चिराग बुझ रहे हों, तो अपने में ही विद्यमान उस ईटर्नल रोशनी को देख लो, जो हम को जीवन, प्रेरणा और शक्ति देती है, जो एक समवेत जीवन का दर्शन देती है।

मैं इसलिए कहता हूं कि यह खलाक, तहजीब और तमद्दुन की बातें जो करते हैं, यह चीजें फ्यूडल माइंडी की बाइ-प्रोडक्ट्स हैं। संस्कृति जो है आज की संस्कृति रोटी है। कामन मैन को रोटी चाहिए, जैसे अभी मौर्य जी ने बड़ी ही ओजस्विता के साथ कहा कि कामन मैन झोंपड़ी में रहता है जहां रोशनी नहीं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, धरती नहीं, जमीन नहीं, आर्थिक विकास का कोई उस पर प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा। हम चाहते हैं ये चीजें उस के पास हों और हम ने उस का सम्बन्ध संस्कृति से जोड़ा है, मानवता से जोड़ा है। रोटी की बात डायरेक्ट प्रधान मंत्री ने जनता से कही है कि हम गरीबी को हटायेंगे और रोटी देंगे। रोटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक शांति नहीं होगी।

शांति तब तक नहीं होगी जब तक हम एक दूसरे पर हाथ उठाते रहेंगे, दिल और दिमाग में एक तारतम्य नहीं जोड़ेंगे। दिल से कोई बात कहे और दिमाग से कोई बात कहे जब तक यह होगा तब तक यह सब चीजें नहीं होंगी। वाजपेयी जी भी बड़े भारी ने ने बन गए कि जैसे साम्प्रदायिकता का कोई प्रभाव उन पर नहीं। मैंने बड़े भाषण सुने जोशी जी के और वाजपेयी जी के, जब वह बात करते हैं तो काश्मीर की बात करेंगे, तो जोश-खरोश के साथ करेंगे कि उस में साम्प्रदायिकता की बू आती है। उसी तरह सुलेमान साहब या हमारे ये तमंचा टाइप पालिटीशियन शमीम साहब बड़ी तीखी जुबान बोलते। कल बोलते बोल ले गए कि हम ने मसीहा समझा था प्राइम मिनिस्टर को और क्या वह निकली, दूसरा शब्द मैं नहीं कहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप हमारी प्राइम मिनिस्टर को मसीहा समझें। हम चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को इंसान समझें और वह इंसान की हैसियत से इंसान के तसव्वुर को समझ कर इंसान के दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंसानियत क्या है और इंसान क्या है? इंसान और इंसानियत को अपने विवेक की तुला से समझ सकते हैं। लेकिन जब आदमी को मसीहा बनाएंगे तो यह तो एक ख्याली पुलाव हो गया, एक कल्पना की बात हो गई। वह एक जबर्दस्त इंसान हैं। आज जिस परम्परा को ले कर शांति और अमन के साथ उन्होंने गरीबी हटाने के नारे को दिया है, उस को वह कार्यान्वित करना चाहती हैं।

इस के बाद एक शब्द में अपने प्रांत के बारे में कहना चाहता हूं। हर तीसरा व्यक्ति

[श्री राम सहाय पांडे]

मध्य प्रदेश में आदिवासी है, और हरिजन है जो हमारा क्षेत्र है जहां से हम आते हैं छत्तीस गढ़, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। वस्तर में प्रधान मंत्री स्वयं गई थी और उन्होंने बड़ी समवेदना के साथ यह कहा था कि कोई न कोई प्रोजेक्ट हम वहां पर लाएंगे। दीक्षित जी बड़े वरिष्ठ नेता है, उनका बड़ा प्रभाव है, इसलिए वह अपने प्रभाव से जहां भी पिछड़े क्षेत्र हों, हम केवल मध्य प्रदेश के बारे में ही नहीं कहते, बिहार राजस्थान, उत्तर प्रदेश जहां भी पिछड़े क्षेत्र हों वहां के लिए कुछ करे और जो लास्ट मैन आफ दि सोसाइटी है एकार्डिंग टु दी कांसेप्ट आफ गांधी जी, जो गरीब है, विपन्न है, अकिंचन है, दरिद्र है उस के लिए कुछ रिसोसेर्ज, कुछ साधन उपलब्ध करें। साधन की गंगा को उस तरफ भी वहा दें ताकि वह यह समझ सकें कि एक ऐसा भी वक्त आया था जब श्री उमाशंकर जी दीक्षित गृहमंत्री थे, उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया और इस आर्थिक विकास की गंगा में हम को भी आचमन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

श्री सुधाकर पांडेय (चंदौली) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं और उस के सत्कायों की प्रशंसा करता हूं। यह स्वतंत्रता का रजत जयंती वर्ष है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि साम्प्रदायिकता इस वर्ष उभड़ी है। साम्प्रदायिकता हिन्दू की हो या मुसलमान की हो या ईसाई की हो, किसी की भी साम्प्रदायिकता गर्हित चीज है। साम्प्रदायिकता केवल जाति और धर्म को ले कर ही नहीं मनोभावों तक को ले कर है। जब चुनाव का वक्त आता है तो नाना प्रकार के नारे लगाए जाते हैं वोट के आकर्षण के लिए। अगला वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव का वर्ष है। जातिवाद के आचार्य चरण सिंह जी ने यह नारा लगाया है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाय, गगां जमुना का बटवारा किया जाय हिमाचल, और विध्याचल का बंटवारा किया जाय, राम और कृष्ण की भूमि का बटवारा किया जाय, सुर और तुलसी का बंटवारा किया जाय ऐसे तत्वों से गृह मंत्रालय अगर सजग नहीं रहा तो निश्चय ही देश को खंडित करने वाले तत्व आगे बढ़ेंगे और उस का दृश्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ रहा है! अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय केवल शिक्षा की समस्या के विषय नहीं रह गए हैं। राजनीति वहां प्रवेश कर गई है। मेरा यह सुझाव है गृह मंत्री से कि कोई एक उच्च कमेटी वह नियुक्त करें जो इस तथ्य का पता लगाए कि राजनैतिक लोग उस अशांति के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कितनी सीमा तक जिम्मेदार हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो लिखने पढ़ने का काम करना चाहते हैं या जीवन के निर्माण का काम करना चाहते हैं वह निश्चिन्त हो कर जीवन-निर्माण का काम कर सके।

इस प्रसंग में बंदे मातरम् की बड़ी चर्चा हुई। आज बंदे मातरम् की जो लोग आलोचना करते हैं कल कालिदास की नगाधिराज वाली कविता की आलोचना करेंगे, परसों और भी बहुत सी चीजों की आलोचना करेंगे। जनगमन कीण भी आलोचना होगी और नाना प्रकार की आलोचनाएं होंगी। मैं यह चाहता हूं कि जो अल्पमत हैं उन के धर्म, संस्कृति और मनोभावों का संरक्षण हो, किन्तु अल्पमत के लोग बहुमत के लोगों के ऊपर इस प्रकार हावी न हों कि जीवन का चलना दूभर हो जाय और राष्ट्रीय एकता की बात समाप्त हो जाय।

डी० एम० के० के कुछ मित्रों ने हिन्दी के ऊपर बड़ा आरोप किया और कहा कि 21 करोड़ रुपया उस की पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। मुझे तो सरकार की बुद्धि पर हंसी आती है कि 25 वर्ष के बाद भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा वह नहीं बना सकी। जो 22 करोड़ रुपया दिया गया है वह 2/3 (दो बटा तीन) पैसा एक आदमी के हिन्दी के शिक्षण के ऊपर पड़ता है। साल में 8 पैसा पड़ता है। इस 8 पैसे में नरकट की एक कलम भी नहीं खरीदी जा सकती और राष्ट्रभाषा उसके माध्यम से बनाने की बात की जाती है, और उस की भी आलोचना की जाती है।

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram): On a Point of order, Sir. My complaint was that they have not sanctioned any amount to the languages other than Hindi for their development. That was my complaint.

श्री सुधाकर पांडे : मैं जानकारी के लिए बताऊं केवल हिन्दी के विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। और भाषाओं के विकास का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों का है और डी एम के के लोगों को तो लज्जित होना चाहिए इस काम के लिए कि अल्पसंख्यकों की भाषा को जो अधिकार प्राप्त था देश में वह अधिकार हिन्दी को मद्रास में उन्होंने प्राप्त नहीं होने दिया और त्रिभाषा फार्मूला को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह तो लज्जा की बात है कि एक तरफ तो अपने अल्पसंख्यक होने की बात कही जाय और दूसरी तरफ .... (**व्यवधान**)......

SHRI C. T. DHANDAPANI: You have not introduced the three-language formula either in UP or in Madhya Pradesh.

श्री सुधाकर पांडे : मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हिन्दी के सम्बन्ध में आप वहां पर मद्रास में क्या कर रहे हैं ... (**व्यवधान**).... अपने शासन में हिन्दी की क्या दुर्गति आपने की है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है ....

SHRI C. T. DHANDAPANI: There is no Hindi at all in Tamil Nadu.

श्री सुधाकर पांडे: इसे छिपाने की कोशिश करना सत्य को धोखा देना है। मुझे एक चीज और कहनी है कि लोक सेवा आयोग 25 वर्षों में भी हिन्दी को माध्यम नहीं बना सका। जब जब हिन्दी के माध्यम की बात उठती है तो स्तरीकरण की बात कर दी जाती है या और कोई बात कर दी जाती है। या तो शासन अयोग्य है जो लोक सेवा आयोग से मनवा नहीं सकता कि हिन्दी के द्वारा स्तरीकरण किया जाय या लोक सेवा आयोग के लोग अयोग्य हैं या उन का कोई स्थिर स्वार्थ इस बात में है कि अंग्रेजी बनी रहे। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब तक शासन में अंग्रेज़ी बनी रहेगी तब तक निश्चित रूप से देश का कल्याण नहीं होगा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित नहीं होगी। हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र की एकता सुरक्षित हो सकती है और शासन में जो अक्षमता आ रही है जिसकी चर्चा लोग करते हैं वह अक्षमता भी दूर करने का माध्यम वह भाषा हो सकती है जिस भाषा में हम लोग वोट मांगते हैं और जिस के माध्यम से हम लोग यहां पहुंचते हैं। यह दुख की बात है कि उस की बहुत दुर्गति है। मैं गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस की ओर वह ध्यान दें।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ पुलिस वाले मुझ से मिले थे और वह भी यूनियन बना रहे हैं या बनाने की बात सोच रहे हैं। हम लोग उन की भर्त्सना तो बहुत करते हैं। लेकिन जो उन के अच्छे कार्य हैं उन की हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए। अगर

[श्री सुधाकर पांडेय]

राजनैतिक लोग न करें तो जिन के संरक्षण में वह विभाग है उन को निश्चित रूप से उसे बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और उन के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पुलिस वालों से भी अपील करूंगा कि वह यूनियन न बनाएं। गृह मंत्री के ऊपर वह विश्वास करें जिन के ऊपर उन के संरक्षण का भार है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): I would just like to state a few words regarding something that was raised in the House.

The House is at present discussing Demands Nos. 46 to 57. Demand No. 47 relates to the "Cabinet" and Demand No. 48 relates to the "Department of Personnel and Administrative Reforms." Now, CBI is under the Department of Personnel and Administrative Reforms. Therefore, whatever mention was made about the CBI was relevant and we have received the cut motions about that also.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What about Research and Development?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: It is a security organization of our country and it would not be proper to discuss it.... *(Interruptions)*.

Just one more point. That is with regard to the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Hon. Member, Shri Maurya gave some figures that in 1967 the percentage of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers in the total number of officers was very small. That is true.

It is, however, gratifying to note that from 1964 onwards in regard to IAS and IPS as also in Class I and Class II Central services (recruitment to which is made through IAS etc. examination) all the reserved vacancies are being filled up by candidates of these communities except in the 1971 examination in which there has been a shortfall in regard to scheduled tribes to the extent of nine posts. Various educational and other measures have been adopted by the Government with regard to scheduled castes and scheduled tribes people and de-reservation is resorted to only in extreme cases. What to say of Class III and Class IV services, even in regard to Class I and Class II services, the situation is so satisfactory that almost all the vacancies are being filled up by the candidates for whom they are reserved. With these words I conclude. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Griha Mantri.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already called the Home Minister.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

The Home Minister.

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): सभापति महोदय, अन्त में कुछ हमारे कांग्रेस पक्ष के वक्ताओं ने और आरम्भ में, जब मैं यहां सूचना पाकर उपस्थित हुआ था, तब हमारे माननीय सदस्य और मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी और एक महत्वपूर्ण भाषण साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में दिया था। यदि आप की इजाजत हो तो जो बातें हमारे साथियों ने और वाजपेयी जी ने उठाई थीं उनका जवाब में हिन्दी में देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि मैं इस बात के लिये उनका शुक्रगुजार हूं—जिन शब्दों में उन्होंने इस महत्वपूर्ण और कठिन विभाग का दायित्व उठाने की चर्चा की है और मैं भी इसको उसी स्प्रिट में उसी दृष्टिकोण से लेता हूं और इसके लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारे आदरणीय गोविन्द वल्लभ जी पंत, उन के पहले सरकार बल्लभ भाईजी पटेल और श्री राजपालाचारी जी का जिक्र किया। राजाजी के साथ तो मुझे व्यक्तिगत रूप से काम करने का अवसर नहीं

मिला, लेकिन पंतजी और खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मुझे वर्षों बम्बई में उनके लेफ्टिनेंट या साथी के तौर पर काम करने का अवसर मिला है और उनसे हमने कुछ सीखा भी है। लेकिन श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगा —यद्यपि मैं कोई काम्पलेक्स, कोई अतिशय विनीतता या अतिशयवाद का शिकार नहीं हूं, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी दूसरे महापुरुष के सम्बध में, या ऐसा न भी हो तो भी, पूरी नकल करना सम्भव नहीं है। एक शब्द और कह कर इस विषय को समाप्त करूंगा—कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सम्पूर्ण शक्ति या सारी सच्ची लगन लगा कर और सारे विषय को समझ कर परिश्रम करता है तथा उसको समय मिलता है तो, प्रतिकूल परिस्थितियां हों तो कम और अनुकूल परिस्थितियां हों तो अधिक, उसका यशस्वी या अनुकूल परिणाम अवश्य होता है—इसी दृष्टिकोण से अधिक से अधिक समय और शक्ति लगाने का प्रयत्न करूंगा।

श्रीमान्, मैं वाजपेयी जी के विचारों से प्रायः सहमत नहीं होता हूं, मगर उनके व्यक्तित्व से—मुझे कहने की अनुमति दीजिये—मैं अत्यन्त प्रभावित हूं। आज उन्होंने कई विषयों की चर्चा की, उनमें कुछ ऐसे वाक्य थे, जिनमें एक शब्द भी मैंने ऐसा नहीं पाया कि जो आपत्ति योग्य हो। परन्तु मैं इस महान और आदरणीय सदन के विचारार्थ इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि हमको परिस्थितियों को देखना चाहिये। साम्प्रदायिक परिस्थिति हमारे यहां आज से नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थिति है और इस समस्या को बनाने वाले हमारे उस जमाने के शासक, उस जमाने के साम्राज्यवादी शासक थे, जिन्होंने जानबूझकर ऐसे बीजों का वपन किया जिससे आज ऐसे बड़े बड़े वृक्ष पैदा हो गये हैं। उनके कारण आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इतिहास के एक अत्यन्त स्मरणीय अवसर के समय में हम को एक ऐसी जगह पर लाकर डाला गया जिसमें लगभग सर्वनाश हो सकता था। लेकिन प्रश्न यह है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक ग्रुप को, किसी एक साम्प्रदायिक भाग को, किसी एक जाति को, किसी एक कम्यूनिटी को उसके लिये जिम्मेदार ठहराते हैं, तब हम ऐतिहासिक कारण से या उसकी सत्य-मीमांसा की दृष्टि से सच्ची बात नहीं करते है। मैं यह नहीं कहता —यह एक ऐसा प्रश्न है कि पहले अण्डा हुआ या मुर्गी हुई—पहले एक जाति की ओर से अतिशय हुआ या दूसरी जाति की ओर से अतिशय हुआ, इसका आधार तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, लेकिन जब से मुझे स्मरण है—अंग्रेजों ने सब से पहले उस जमाने में जब मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया था, तो कलकत्ते के एक नाइट मारवाड़ी सज्जन को भी उनके साथ बुलाया था और उस समय मिल कर उन्होंने साम्प्रदायिक विचारों का समर्थन किया था, यहां तक सैप्रट इलैक्टोरेट के बारे में भी कहा था।

अब परिस्थिति यह है – मैं एक वस्तुस्थिति आप के सामने रखना चाहता हूं—मैंने पिछले 25 वर्षों में यह देखा है, पहले की बात छोड़ दीजिये पहले तो अंग्रेजों का एक नियम था कि जब हमारा आन्दोलन कहीं महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचता और प्रभावी होने लगता था, उसी समय कहीं- न- कहीं हिन्दु मुसलमान के झगड़े होने लगते थे और हम बेकार, असहाय हो कर परेशान होने लगते थे, झूठी खबरें उड़ाई जाती थीं, और उस से परिस्थिति कठिन हो जाती थी। लेकिन आज की, परिस्थिति में, श्रीमान, प्रश्न यह है कि जहां कहीं साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं वहां उस का लाभ किस को मिला है? आज अगर कोई चीज होती है तो उस के लिये होगी जिसको उस का लाभ मिलता है, लेकिन जब हम को हानि होती है तब हम उस के लिये चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। जहां कहीं साम्प्रदायिक दंगें हुए हैं और उसके बाद चुनाव हुआ है। तब कुछ विरोधी दलों का लाभ हुआ है

[श्री उमा शंकर दीक्षित]

उनका यह भी दृष्टिकोण है- मेरे ख्याल में यह सच्चा दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन है – कि विरोधी दल का अगर कोई काम है तो यही है कि विरोध करें। मैं मानता हूं कि यह सारे जगत के लिये या दूसरे देशों के लिये सत्य हो या न हो, लेकिन भारतवर्ष के लिये सत्य नहीं है। इससे उनकी विश्वसनीयता घटती है जैसे हमारी बातों की विश्वसनीयता कम हो गई थी, लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री के आने के बाद विश्वसनीयता, क्रेडिबिल्टी बढ़ी और जिस के कारण असंख्य लोगों ने हमारा समर्थन किया। इस लिये मेरा निवेदन है कि हमारे विरोधी दल तथा उनके नेता उन्ही विषयों का समर्थन करें, जिन्हें वे उचित समझें और उन्ही का विरोध करें जिन को अनुचित समझें। तब तो हम चाहेंगे कि देश में ऐसे दल बनें। हम नहीं चाहते हैं- आप विश्वास कीजिए–कि एक ही दल बना रहे। एक ही दल बना रहे तो हमको भविष्य की चिन्ता होती है कि कभी हम थकें, कोई दूसरी परिस्थितियां आयें तो कोई और भी दल होना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो, जो भारत की प्राचीन, महात्मा गांधी, लाल नेहरू और मौलाना आजाद ने जो परम्परायें बनाई हैं उनसे मिली जुली बातें रख कर चले और जिसको जनता भी स्वीकार करें। इस दृष्टि से यह क्रम चले तो अच्छा है, अन्यथा मैं मानता हूं कि जहां उन दलों की हानि हैं वहां हमारी भी हानि है। यदि आपको वास्तव में साम्प्रदायिकता कम करनी है तो मेरा निवेदन है खासकर मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी, जनसंघ तथा आर एस एस के साथियों को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उससे साम्प्रदायिकता बढ़ती तो नही है? कहीं पर दंगा तो नहीं हो सकता है। पुलिस को घर घर नहीं बिठा सकते हैं। कहा जाता है कि पुलिस खराब है, हमारें लोग खुद कभी एक पुलिस बाले की तरफ तो कभी दूसरे पुलिस वाले की तरफ हो जाते हैं। पुलिस की गलती भी हो सकती है, मैं मानता हूं। लेकिन जो समाजिक अपराध हैं वह पुलिस के वश का काम नही है। जब भी कभी कोई बड़ी बात, कोई बड़ा दंगा होने वाला होता है तो उसका पहले से इशारा होने लगता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, अपने दल के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि हमको स्वयं बीच में दखल देना चाहिए दूसरे दलों के नेताओं को भी दखल देना चाहिए जिससे कि वह चीज वहीं पर रुक जाये और पुलिस भी उस पर नियन्त्रण कर सके। इस सम्बन्ध में इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

इंटिग्रेशन कौंसिल की भी बात कही गई राष्ट्र भाषा की बात मौर्य जी ने कहीं। इन विषयों पर कुछ कहकर फिर मैं अंग्रजी में निवेदन करूंगा मैं मौर्य जी का बड़ा आदर करता हूं। वे एक प्रखर नेता हैं, उन्होने बड़ी सेवा की है हरिजन बंधुओं की और जो दूसरे दबे हुए पिछड़े हुए लोग हैं उन सबकी। उन्होने कहा है कि कौंसिल में, पार्लमेन्ट वगैरह में रिजर्वेशन रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे एक तरह की जातीयता बढ़ेगी जिसको आप कभी दूर नहीं कर सकेंगें। इसमें ; कुछ सत्यता है, लेकिन हम मानते हैं हमारा नेतृत्व मानता है और पार्लमेन्ट के सदस्य भी मानते हैं कि अभी वह समय आया नहीं है। जब तक आदिवासियों, हरिजन बंधुओं, गिरिजन बंधुओं को अवसर नहीं देंगें तब तक वें आ नहीं सकेंगें। हमारा समाज अभी इतना विकसित नहीं हुआ है।

इसके अलावा उन्होने कहा कि पिछड़े वर्ग की नौकरियों के सिलसिले में यह जो फिशिएन्सी वाली शर्त है उसको निकाल दीजिए जो आप बात कहते हैं उसमें तथ्य है, यह मैं मानूंगा कि अगर ऐसा होता है कि योग्यता की शर्त के कारण कोई लगभग योग्य व्यक्ति है उसको आप हटाना चाहते हैं तो उसके साथ अन्याय होता है, मुझे इसमें तनिक भी संकोच स्वीकार करने ; नहीं है और मैं आपसे कहूंगा कि एसे अवसर आये हैं मैं जब सदस्य नहीं था तब पूछा था। तीन चार बार हरिजनों के

नाम आये वह स्वीकार नहीं हुए परन्तु पर्सोनल विभाग से लौटा दिए गए कि यदि आपको योग्य हरिजन नहीं मिलते तो न सही. आप मत रखो। मैं जानता हूं इसलिए कि नेशनल हेराल्ड प्रेस के एक सुपरवाइजर यहां उपस्थित हुए थे और हरिजन की जगह उनको मिली थी इसलिए कि हरिजन प्रार्थी योग्य नहीं समझे गए। परन्तु गृहमंत्रालय ने उनकी नियुक्ति रोक दी थी। इसलिए मुझे मालूम है कि पहले से हमारी ऐसी नीति है हम सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा फार्मूला बने अगर यह हो कि योग्य अयोग्य हर एक को ले लिया जाये तो वह मौर्य जी भी नही चाहेंगे इसलिए अब कौन सा ऐसा फार्मूला बनाया जाये, कौन सा सिद्धांत बनाया जाये जिससे अधिक हरिजन आदि आवें और सर्वथा अयोग्य न आवें। इसमे मैं स्वयं कुछ कर सकूं इस पर विचार कर रहा हूं पहले से विचार कर रहा हूं, पहले भी विचार हुआ है और इसमें हम आगे जा सकेंगे तो उसके लिये पूरा प्रयत्न करेंगे।

एक बात राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं हिन्दी भाषी हूं, उसके प्रति मेरा प्रेम है तो इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैंने 25-30 वर्ष का हिन्दी के सम्बन्ध में जो भी इतिहास है उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है, मैं कोई बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति में तो नहीं रहा हूं लेकिन अध्ययन किया है और परिणाम यह देखा है कि जब हम ने अधिक जोर दिया तब तब हिन्दी का प्रचार होने के बजाये अप्रचार होने लगा, वह पीछे जाने लगी। इसलिए यह सबक हमें सीखना चाहिये। हिन्दी भाषी होते के कारण यदि आपका मोह हिन्दी से है तो तमिल होते के कारण, तेगुगु होते के कारण और मूल्यालम होते के कारण उनसे उनको मोह है व कहते हैं और ठीक कहते हैं कि हिन्दी भाषा के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं की भी उतनी ही प्रगति करों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जब आपस में बातचीत करसकता भी संभव नहीं रहेगा। मेरे विचार आप स्वीकार करें या न करें लेकिन आज हजारों आदमी उत्तर में और दक्षिण में ऐसे हैं जो अपनी बात टूटी फूटी अंग्रेजी भाषा में तो कह लेते हैं लेकिन हिन्दी, तमिल और दूसरी भाषाओं में नहीं कह सकते हैं। मराठी में भी नहीं कहते हैं, यह कठिनाई मैंने देखी है बम्बई वालों में अभी असम में इस प्रश्न पर जैसा विस्फोट हुआ उसका विशद विवेचन मुझे नहीं करना है। हमें बहुत सम्हल कर आग बढ़ना है। उद्देश्य ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन यह है पांडे जी से कि वे इस पर अधिक जोर न दें।

Now, this question of backward communities, Harijans and Adivasis, etc., is a very important one. When press reports come about atrocities, I hang my head in shame. If after 25 years of freedom, years after Gandhiji had taught us all service of Harijans, if we are still accused, with some justification, it is a matter of shame. But as you know, anybody who has been associated with the administration, in the District or in the State or at the Centre, anywhere, knows how the administration functions. You can pass a law and you can issue an instruction and you can appoint even good, nice people also, but all this is no guarantee. What happens is, there are various imponderables due to historical reasons which make us go slow. (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER: Dictators.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: We are not dictators; we have seen how dictatorships, of the right or the left, have functioned, and what kind of situations they create. We believe in democracy, but we want our democracy to function faster. Speaking for myself. I would like to have a full democracy and I would like to carry the support of the largest number of people possible. But let there be some way, some process by which decisions are carried out quickly. What happens is that there is a legacy of the past, the long legacy of

[Shri Uma Shankar Dikshit]

the past where, under the British rule, in order to prevent the sovereign from acting hastily, all manner of impossible restrictions were placed in the way, and that was supposed to be democratic. However, circle has since been completed the other way about. Now, it is necessary, if anything, to push the administration to work fast, to move fast. Therefore, our duty is to help them to move fast.

For instance, it is the privilege of every Member to raise a point of order. I am not so old a Member of Parliament as to be able to say anything with any authority. I do not want to be misunderstood also. I have respect also for the level of discussions here and in the other House. But a number of points of order are raised. I have carefully gone into many of them. Believe me, not one of them—perhaps one in a thousand may be strictly a point of order—was a point of order.

For instance, one wants to get up and say something. When some gentleman like my friend Mr. Shamim or the other gentleman wants to say something, which he is not able to articulate, he rises on a point of order. *(Interruptions)*

The point I am making is this. There are such points of order raised in administration also. Hardly is something done than somebody comes up and says something about it and I call back the papers and hold it up for one, two or three weeks; that is how things get delayed. I am not complaining; this is part of the game. I am not producing an advance alibi, I should make it clear. In the matter of Harijan advancement we have a great distance to travel. I am not denying; but why are these "atrocities" happening? I have said this before but it is worth repetition in this House. We are going through a silent revolution, from a feudal and agricultural society to a modern society, from a colonial society to a democratic, socialist society. A three or four pronged revolution is in process and in this process we have roused the expectations of Harijans. They are coming up and learning and getting post-graduate education. Suppose a small zamindar is there and he is supposed to be a self-cultivator. He does nothing; he employs about half a dozen people to help him and pays them one or two rupees a day. Do you expect that things will continue like this? When an unskilled worker in Ludhiana gets Rs. 6 a day, these Harijan employees refuse to go to the field and work for one or two rupees. And so some of the landlords start beating them or insulting them. This is a social process through which our society is going. This is a welcome sign. I am not saying that the zamindars who are terrorising the field workers are doing any welcome thing; it is a hateful thing and we shall do everything in our power to discourage it and I expect every member of our party to take sides and become partial against those who are thus terrorising any one.

Let us understand the process. The Harijans are now standing up for their rights and they ask for their privileges. They say "Pay this much; otherwise I am not coming to you." Even an ordinary woman says: no. That means they are becoming conscious of their rights. In this process when a person or a family is beaten up or badly treated, the case goes to the Press. I am not angry with the Press.. *(Interruptions)* Mr. Bosu, you have never put any constructive suggestion and please do not interrupt. If we are not able to raise the Harijans and the Adivasis this country will not survive. Tell us what we should do, not now, at the next discussion or at a personal discussion and I am willing to look into that. Let us understand that this development is not such a calamity as might appear. People are asserting their rights.

Instructions have been issued to the police and if they are inadequate I shall again issue instructions so that the police should not take sides

against them. If the police are called upon, they should help these helpless people. But again I may say that calling the police in such areas alone may not be helpful; in an area where some Thakurs or Brahmins or other influencial people are in large numbers if one or two policemen are called and they are shouted at, what will be the poor fellows do, unless somebody in some position there asserts himself and says: no; this man will not be allowed to be hurt.

The police are also human beings just like you and me. (*Interruptions*). Then I shall have to give a lecture on the present stage of human development—the, evolution of humanity. Such a senior Member has not said one word about policy and programme. He only says that some policeman is doing this thing, some man or woman is doing that thing and all the time he goes on saying such things. He just referred to a photostat copy. Earlier also, he produced a photostat copy which proved to be totally wrong later. That was about Rs. 5 lakhs. I am giving you the reason. I shall deal with that later. (*Interruptions*).

SHRI JOYTIRMOY BOSU: Shri Dikshit is responsible for whatever he says.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He is yielding.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, may I request you to take your seat first? Please hear him. When you were speaking nobody disturbed you. You said so many things. I request you to please hear him.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I had produced many photostat copies duly authenticated under my signature. Kindly disprove if anyone of them is wrong—I am prepared for any punishment that the House may give.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: I accept it so far as this is concerned. I do not want to enter into any controversy. I only want to clear this matter. My point is that from the earlier photostat copies he was drawing his conclusion that a particular firm or individual had paid Rs. 5 lakhs to a press. This proved to be totally false.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: We had also gone to the extent of citing a photostat copy and regarding the photostat copy, a debate had taken place in this House in which many Hon. Members had participated. And now the Hon. Minister has no business to cast reflection on the contributions that we had made on that occasion. I repeat he has no business to cast any reflection, so far as that matter is concerned, for it had been conclusively proved in this House.

SEVERAL HON. MEMBERS. No, no.

MR. CHAIRMAN: I have not allowed that document to be placed on the table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This has been proved beyond any doubt.

MR. CHAIRMAN: This will be sent to the hon. Speaker and if he, after seeing and verifying it, allows, then that will be the property of this House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I humbly request you to hear me. Shri Dikshit is talking about that photostat copy which was produced. That was about Shri Goenka's money going to the Saraswathi Press for financing the ruling party.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is in the Minister's memory. Why not challenge the authenticity of the photostat copy?

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Hear him as to what he says.

18.00 hrs.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: A large number of important suggestions have been made. It has also been said that the law and order situation in the country is not satisfactory. I will deal with it last to the best of my ability. Of course, it is not possible to refer to all the points.

Some very important suggestions have been made by Mr. Krishna Menon. He said that force should be used only in self-defence and for preventing a greater harm, that the citizens are entitled to humane treatment from the police, that they should not unleash a reign of terror, etc. I am only presenting his ideas, not necessarily in his own words. These appear to be sound principles. We have to consider how far the present legal system meets with the situation. I do believe that Shri Krishna Menon has presented a view which should be given the importance which it deserves. He also said that some principles and guidelines should be laid down under the MISA. That also is under consideration. I fact, I issued instructions to the ministry that guidelines should be formulated and communicated to all the State Governments and particularly to the Union Territories, so that on this matter there is no difficulty about interpretation. It is a very important legislative measure. The idea underlying it is that if a responsible Government officer comes to the conclusion that somebody is likely to commit an act in future which will be prejudicial to the law and order situation, security of the State etc., that person can be detained. The selection should be made with the utmost care. But after that selection, he should not be allowed to go back. The practice in Delhi had been that within five days or twelve days after his detention, he was allowed to go back. This involves a process which in my opinion is not desirable. Care should be taken both ways negatively and positively to use the MISA Oressonably and properly.

About communal incidents, it was said that the number was still large though it had come down to half. As I said earlier, we do not claim credit for it. But supposing it had doubled itself, would not the criticism have been made that the number had doubled? I am merely submitting that the number in these two years has gone down to less than half.

Somebody spoke about the Muslims not being brought into the mainstream. It is true that full integration and full understanding has not been reached. That is why through no exclusive fault of any particular party or group things happen which we all regret. The National Integration Council was brought into existence precisely for this purpose. It worked well to a certain stage and then its work slowed down. That Council cannot really achieve any remarkable or appreciable progress unless everybody who joins, every party that joins, take full responsibility for the promotion of integration. A party may say "we will not join it because we will not go that far". Only those parties which are willing to take full responsibility for the programmes should join it. Others can ask to be excused, rather than joining and not working for it; because this has happened before that matters have been held up, understanding has been reduced, misunderstanding has arisen. Within a very short time, the recomposition of the Council is going to take place and we are going to take up this programme earnestly at an early date. We hope that in this matter the Government will receive full understanding, sympathy and cooperation.

Shri Mishra referred to the National Integration Council and said that it has been given a burial. It has not been given a burial. He asked how many times it has met. Let him ask how many times we have met about the situation in Andhra.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: How is it relevant?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: There is the difficulty of time. Then there were various reasons, including adverse atmosphere and the difficulties encountered in the process of implementation. It appointed a Council for implementation of the programme and that Council has been writing to people and acting on them. It is called the Executive Council.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Has that Council met?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: No, I do not know. We are going to take up this matter as one of the urgent items of our programme.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: You must be sorry that not a single meeting of this important body had been held for a long time.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Another important matter raised by him and several others is that better employment opportunities should be made available to Muslims and other minorities. This point is very rightly raised. I fully appreciate the legitimacy and importance of the demand. There are some difficulties. In some cases there are very talented people getting employment elsewhere and it is not very easy to get them. In other cases, there are good people, excellent experienced people, but they do not get opportunities because of local prejudices. Sometimes it is because the number of opportunities is so small that it is difficult to eliminate the excess applications. Thus, it comes to be the selection of a very few people. Out of a very large number of applications. But, despite these difficulties, I agree that it should be our endeavour to improve the employment opportunities of Muslims and other minorities in the country.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Why not appoint a commission?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Commissions only delay matters. I am accepting your idea and you should be satisfied with it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Does it mean that he agrees with the charge that the Muslims are being discriminated against by the government?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: There is no question of discrimination. How can there be?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Where is the question of minorities and majorities in the services?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: It is not necessary to practise deliberate discrimination that a fact like that should come into existence.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : माइनारिटीज के लिए मिनिस्टर बनना आसान है, लेकिन खानसामा बनना मुश्किल है। माइनारिटीज के मिनिस्टर तो नुमायश के लिए और राजनीतिक स्वार्थ-साधन के लिए बना दिये जाते हैं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : इस तरह की बातों से श्री मिश्र का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नौकरी देते समय योग्यता देखी जायेगी या मजहब देखा जायेगा।

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: श्री उमा शंकर : दीक्षित सब रेलिवेंट विचार देखे जायेंगे।

All the relevant ideas will be taken into consideration. If in the process of administration an anomaly has occurred, a discripancy has occurred, then that will be corrected in order that wherever there is such a grievance, it should be adequately removed.

[Shri Uma Shankar Dikshit]

So far as the general situation in the country is concerned, it has been complained that we have sometimes criticised the Opposition. The whole purpose of opposition in Parliament is that the Opposition criticises and the ruling party also criticises back and explains, both here and outside That is going on every day. But there is one aspect of the situation which is worth pointing out here.

The representative of the Communist Party Marxist who spoke first had a very large number of items about every thing relating to India which could be said. He mentioned them all quickly. He had to skip over many parts of his notes because he could not deal with them within the time available to him. The main point that he made was that the ruling party, the Indian National Congress Party Government is disrupting parliamentary democracy. This is his charge. He mentioned two things. He bracketted Lenin and Stalin. He said, Lenin and Stalin did this and did that. Nationality matter was also raised ....*(Interruptions)*.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: He mentioned in connection with the language issue.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: He said that we are destroying parliamentary democracy Who are they to talk of parliamentary democracy? *(Interruptions)*

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): We are the representatives of the people....*(Interruptions)*

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Who will believe them when they complain about disruption of democracy by us? We are for democracy; we are working for democracy; our whole process is democratic. At least let them not make such frivilous charges against us. *(Interruptions)*

Lenin, as a revolutionary figure of history, is respected all over the world. But what is the position of Stalin in Russia, in China, in any Communist Party in the world? Is he today respected? Have his policies been discredited or not? His policies have been completely discredited. *(Interruptions)* Do not quote him now. That is what I am requesting. What I am saying is this. We have common ground with them. There is common ground between the Communist Party and ourselves because they stand for socialism. Ultimately, the aim of communism is socialism. Let anybody deny it. Is the aim of communism socialism or not? The only difference is that they stand for violent socialism; we want non-violent socialism. With all those who are for peaceful transformation from capitalist to socialist society, from individualism to socialism, with all those parties who stand for socialism, we have common ground..*(Interruptions)*. *Let* them give up violence; then my quarrel with them will stop for ever.... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Socialism, as we understand it may not be acceptable to CPM.

I am willing to grant that....*(Interruptions)*. They do not have the patience to hear the view point. What I was saying is that those who attended the Amritsar Community Party Congress and accepted the Amritsar thesis, why were they compelled to change the Amritsar thesis? ....*(Interruptions)*. They split into three Parties. They complain against our splitting but they do not understand.... *(Interruptions)*. Those who were in favour of peaceful socialism separated and two-third *i.e.* Naxalites and the Marxist Communists went outside. Thet is why we felt that those who are coming back from CPI

*Not recorded.

are for socialism. If they are for socialism—I am talking of democratic socialism—If they are for democratic socialism, if they are for secularism, then we have no quarrel with anybody who may come from any Party. That is the point I want to make.... (*Interruptions*).

From this I want to draw one corollary.... (*Interruptions*). The corollary is that because of these developments, violence asssumed unprecedented proportions in Bengal. Wherever the CPM had leadership, violence grew to an unprecedented proportion.... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharyya, I am not allowing you.. (*Interruptions*).

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Mr. Bosu told this House that he had a booklet in which the murders so far as their Party was concerned were mentioned. He said that. What I would request him.. (*Interruptions*). It is the property of the House. You can see the records. Therefore, I am absolutely relevant. What I would request is that in the interests of truth, they should complete and publish the list of murders during their entire regime..... (*Interruptions*).

I am thankful for the time given to me. I request that the Demands should be passed with acclamation and unanimously by the House. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I will now put all the cut motions to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 46 to 57 relating to the Ministry of Home Affairs."

The motion was adopted.

[*The motions for Demand for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed*]

DEMAND NO. 46—MINISTRY OF HOME AFFAIRS

"That a sum not exceeding Rs. 1,44,69,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of Ministry of 'Home Affairs'."

DEMAND NO. 47—CABINET

"That a sum not exceeding Rs. 83,51,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Cabinet'."

DEMAND NO. 48—DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

"That a sum not exceeding Rs. 4,14,18,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Department of Personnel and Administrative Reforms'."

DEMAND NO. 49—POLICE

"That a sum not exceeding Rs. 1,02,32,47,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 2,10,42,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum

[Mr. Chairman]

necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Police'."

DEMAND No. 50—CENSUS

"That a sum not exceeding Rs. 2,89,83,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Census'."

DEMAND No. 51—OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

"That a sum not exceeding Rs. 56,07,43,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 10,82,61,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs'."

DEMAND No. 52—DELHI

"That a sum not exceeding Rs. 65,21,00,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 28,99,91,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Delhi'."

DEMAND No. 53—CHANDIGARH

"That a sum not exceeding Rs. 8,00,91,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 3,18,24,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Chandigarh'."

DEMAND No. 54—ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

"That a sum not exceeding Rs. 11,52,91,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 4,20,32,000 on capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Andaman and Nicobar Islands'"

DEMAND No. 55—ARUNACHAL PRADESH

"That a sum not exceeding Rs. 14,50,66,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 5,39,68,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Arunachal Pradesh'."

DEMAND No. 56—DADRA AND NAGAR HAVELI

"That a sum not exceeding Rs. 62,97,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 33,87,000 on Capital Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Dadra and Nagar Haveli'."

DEMAND No. 57—LACCADIVE, MINICOY AND AMINDIVI ISLAND

"That a sum not exceeding Rs. 1,88,91,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. 38,97,000 on Capital Account be granted to the President to *complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Laccadive, Minicoy and Amindivi Island'."

18.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 30,1973/*Chaitra* 9, 1895(*Saka*)

MGIPND—41 LS—PMR—7-7-73—1010.